न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/308

गोविन्द लाल आयु 77 वर्ष पुत्र श्री किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम देवली अरब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. अमोलक बाई पुत्री गोविन्द लाल पत्नी बृजमोहन धाकड निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. अनुसुईया बाई पुत्री गोविन्दलाल जाति धाकड निवासी स्टेशन रोड अन्ता जिला बारां ।
3. गिरीश कुमार पुत्र हरिशंकर जाति धाकड निवासी बरखेडा तहसील अन्ता जिला बारां ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री श्याम लाल सुमन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 06.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी कम 1 के खाते की खाता संख्या नया 89 पुराना 77 की पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 302 रकबा 0.86 हैक्टर खसरा नम्बर

303/1 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 1429/1 रकबा 0.32 हैक्टर कुल 03 किता की रकबा 2.29 हैक्टर ग्राम देवली अबर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी कम 1 को उसके पिता किशन लाल से विभाजन में प्राप्त हुई है । उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से उसमें प्रार्थीगण का अप्रार्थी कम 1 के साथ ही जन्म से हक व हिस्सा निहित है अर्थात् उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हक व हिस्सा निहित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अकेले अप्रार्थी कम 1 के नाम खाते में दर्ज है । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित की जावे कि अप्रार्थी कम 1 वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भाग को बिना इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा कराये हुए अवैध रूप से खुर्द–बुर्द विक्रय एवं हस्तान्तरित नहीं करे और न ही प्रार्थीगण को उक्त भूमि के उनके हिस्से से वंचित करे । प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि में काश्त करने से नहीं रोके । उक्त कार्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.07.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी कम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है । पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र–पुत्रियों को विभाजन का वाद लाने का अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील-मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92 (ए) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । अधीनस्थ

न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है अपीलान्ट उक्त भूमि को रिकॉर्डेड खातेदार है और एक रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट को उक्त आराजी विभाजन में प्राप्त हुई है एवं एक बार विभाजन होने के पश्चात् आराजी स्वअर्जित सम्पत्ति हो जाती है एवं उसका पैतृक स्वरूप समाप्त हो जाता है । पिता के जीवनकाल में पुत्र–पुत्रियों को विभाजन का वाद लाने का अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है एवं कब्जे के अभाव में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट के दो पुत्र तेजराज एवं सोहनलाल मौजूद हैं जिन्हं अधीनस्थ न्यायालय में वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके कारण दावा चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि –विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरबीजे 2006 पेज 21, आरआरटी 2018 (1) पेज 692, आरआरटी 2009 (2) पेज 1393, 2016 (2) सीजे सिविल (एससी) पेज 417, 2008 डीएनजे (एससी) पेज 364, 2016 (2) सीडीआर (एससी) पेज 324, आरआरडी 1998 पेज 79, आरआरडी 1997 पेज 30, आरआरटी 2011 (2) पेज 1170 उद्धरत की।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है जो अपीलान्ट के खाते में उनके पिता से आई है । रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट के पुत्री व पुत्री के पुत्र होने के नाते वादग्रस्त आराजी में उनका जन्म से अधिकार रखती हैं । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर रहे हैं इस कारण यह दावा पेश किया गया है यदि वो वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर देंगे तो रेस्पोडेन्टगण को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में तय पाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 बहाल रखा जावे । उन्होनें अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2016 (1) पेज 01, आरबीजे 2015 (22) पेज 299 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अप्रार्थी अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी एवं अन्य राजस्व रिकॉर्ड पेश किये गये हैं उनके अवलोकन से पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के तन्हा खाते में दर्ज है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी को गोविन्द के पिता से उनके खाते में आने का कथन करते हैं उसमें हिस्सा प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं परन्तु नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के तन्हा खाते में दर्ज है और पिता के जीवनकाल में उनके पुत्र–पुत्रियों को वादग्रस्त आराजी में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । सीजे 2016 (2) सिविल (एससी) पेज 417, 2016 (2) सीडीआर (एससी) पेज 324, 2008 डीएनजे (एससी) पेज 364 यहॉ चस्पा होती हैं ।

10. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्ट के दो अन्य पुत्रों तेजराज व सोहन लाल को पक्षकार नहीं बनाया है ऐसी स्थिति में उनका दावा आवश्यक पक्षकारों के अभाव में मेन्टेनेबल नहीं है जब दावा ही मेन्टेनेबल नहीं है तो उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार एवं काबिज काश्त हैं और खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी अपीलान्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 निरस्त किया जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा